

पूर्वोत्तर रेलवे
दर परिपत्र (सामान्य) सं०22वर्ष 2018
(केस सं० सी/429/8/3/12/पार्ट-11/आरसीएल)

विषय-पूर्व तट रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे पर बांसपानी-टोमका बड़ी लाईन खण्ड पर
माल भाड़ा प्रभारित करने के लिए दूरी में विस्तार।

वर्ष 2018 का दर परिपत्र 10 रेलवे बोर्ड के पत्र सं०-टीसीआर/1099/2012/1 दिनांक 17.05.2018 द्वारा जारी किया जाना है, की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।


कर्मचारीगण कृपया इसे नोट करें एवं तदनुसार कार्यवाई करें।
सभी मरेप्र० कृपया अपने कर्मचारियों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराए।


(प्राधिकार- रेलवे बोर्ड का पत्र सं०-टीसीआर/1099/2012/1 दिनांक 17.05.2018 वर्ष 2018 का दर परिपत्र सं०-10

Sol.
(देव आनन्द)
ववाप्र/एफएम
दिनांक 11.06.2018

सं०-सी/429/8/3/12/पार्ट-11/आरसीएल

1. समस्त स्टेशन अधीक्षक तथा कोचिंग अधीक्षक।
2. समस्त मरेप्र/वमवाप्र/मंवाप्र, पूर्वोत्तर रेलवे।
3. विसमुलेधि/मुवाप्र/मुवाप्र(या०)/एफ०एम०, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोरखपुर, छपरा, गोण्डा।
5. कार्याधि/दावा, सामान्य, टिकट जॉच, विकास,आर.सी.एल.तथा कार्यालय के सभी उप अनुभाग।
6. मुख्य परिवहन प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर।
7. जी०एस०/आई.आर.सी.ए./नई दिल्ली।
8. निदेशक लेखा परीक्षा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
9. सभी विभागाध्यक्ष, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
10. उप मुख्य सर्तकता अधिकारी/यातायात, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
11. निदेशक यातायात वाणिज्य(दर) रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
12. प्रधानाचार्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, पूर्व मध्य रेलवे, मुजफ्फरपुर।
13. उप मुवाप्र/यासे०/यूटीएस/पी०ओ०, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
14. उप मुख्य दावा अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
15. ववाप्र/या०से०/वरि० यातायात प्रबंधक(कोचिंग), उप मुख्य परि० प्रबन्धक एफ.ओ.आई.एस., पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
16. आयुक्त रेलवे संरक्षा (सी.आर.एस.) लखनऊ।
17. प्रबन्ध निदेशक/रेल सूचना प्रणाली केन्द्र (फिस) चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-23
18. प्रबन्ध निदेशक कोनकण रेलवे निगम (के.आर.सी.) सेक्टर-1, बेलापुर- न्यू मुम्बई- 400614
19. मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर को समुचित रूप से विज्ञापन जारी करने हेतु।
20. सांख्यिकीय अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
21. वाणिज्य नियन्त्रक (मुख्यालय) / गोरखपुर।


कृते महाप्रबन्धक/वाणिज्य



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

PCCM

सं. टीसीआर/1099/2012/1

नई दिल्ली, दिनांक: 17.05.2018

महाप्रबंधक, 30 पूर रू. सभी भारतीय रेलें.

Circulated over N.E. Railway vide
Rates Circular (General)
No. 22 of 18 Dtd. 11/6/2018

विषय: पूर्व तट रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे पर बांसपानी - टोमका बड़ी लाइन खंड पर माल भाड़ा प्रभारित करने के लिए दूरी में विस्तार.

संदर्भ: बोर्ड का 2007 का दर परिपत्र सं.14, 2012 का 6, 2012 का 14 और 2015 का 16.

1. उपर्युक्त दर परिपत्रों के क्रम में, पूर्व तट रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे पर बांसपानी - टोमका बड़ी लाइन खंड पर माल भाड़ा प्रभारित करने के प्रयोजन से प्रभार के लिए दूरी में 30 % (तीस प्रतिशत) विस्तार करने संबंधी अनुदेशों की अवधि को 31.05.2018 के बाद तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 31.05.2021 तक बढ़ाने के लिए एतद्वारा केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
2. यह विस्तार माल यातायात के सभी प्रकारों के लिए एक समान रूप से लागू होगा.
3. यह रेल मंत्रालय के यातायात परिवहन निदेशालय के परामर्श और वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

हो

(शिल्पी बिश्नोई)

निदेशक, यातायात वाणिज्य (दर)
रेलवे बोर्ड

सं. टीसीआर/1099/2012/1

नई दिल्ली, दिनांक: 17.05.2018

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रमुख वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें।
2. उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(रेलें), कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली।

Rel

प्र० मु० दा० प्र० सचिव
पंजीयन सं० RB-126
प्राप्ति तिथि 5/6/2018

प्रमुख वित्त सलाहकार
रेल मंत्रालय
नई दिल्ली

हो

कृते वित्त आयुक्त (रेलें)